

कार्यालय आदेश

क्रमांक: 1015

/बी-1684/पावर सब कमेटी/77वीं/1पी

दिनांक: 27/11/98

इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.03.1993 के कार्यालय आदेश क्रमांक 465-95/4/1-एम का अधिक्रमण करते हुए, बीबीएमबी की विद्युत उप समिति निम्नानुसार पुनर्गठित की जाती है:-

- | | |
|---|------------|
| 1. सदस्य विद्युत, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़ | अध्यक्ष |
| 2. तकनीकी सदस्य, पीएसईबी, पटियाला | सदस्य |
| 3. निदेशक (तकनीकी), एचवीपीएन, पंचकूला | सदस्य |
| 4. तकनीकी सदस्य, आरएसईबी, जयपुर | सदस्य |
| 5. तकनीकी सदस्य, एचपीएसईबी, शिमला | सदस्य |
| 6. विशेष सचिव, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़ | सदस्य सचिव |

उप समिति के सदस्य सचिव बोर्ड/ अध्यक्ष, भा.ब्या.प्र.बोर्ड अथवा विद्युत उप समिति के सदस्यों द्वारा उल्लेखित तकनीकी मामलों पर समय-समय पर विद्युत उप समिति की बैठक निम्न अनुसार आयोजित करेंगे :-

- I. विद्युत आपूर्ति का विनियम ।
 - II. विद्युत गृहो, उप केन्द्रों और पारेषण लाइनों पर संयोजन/ परिवर्तन, मुरम्मत/ प्रतिस्थापन ।
 - III. बीबीएमबी के कार्यों से संबंधित अन्य तकनीकी मामलें ।
3. बैठकों के लिए कार्य सूची बीबीएमबी के संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार की जाएगी और सदस्य (विद्युत), भा.ब्या.प्र.बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् सदस्य सचिव द्वारा जारी की जाएगी । सदस्य सचिव बैठक के विचार विमर्श के कथनों को सार के अभिलेखित करेंगे और सदस्य (विद्युत) के अनुमोदन उपरांत जारी करेंगे ।
4. विद्युत उप समिति की सिफारिश अध्यक्ष, भा.ब्या.प्र.बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी अथवा इस कार्यालय के दिनांक 21.07.1997 के कार्यालय आदेश क्रमांक 996/बी-1684/पावर सब कमेटी/76वीं/1पी में दी गई प्रक्रिया अनुसार संपूर्ण बोर्ड को अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

पृष्ठांकन क्रमांक: 45743-75

/बी-1684/पावर सब कमेटी/77वीं/1पी

— ४६१ —
विशेष सचिव

दिनांक: 27-11-98

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. अध्यक्ष महोदय के उप सचिव/तकनीकी, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चंडीगढ़ ।
2. पावर सब कमेटी के सभी सदस्य ।
3. सिंचाई सब कमेटी के सभी सदस्य ।
4. सचिव/विशेष सचिव के निजी सचिव, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चंडीगढ़ ।
5. सभी अनुभागाध्यक्ष, बोर्ड कार्यालय, चण्डीगढ़ ।
6. भा.ब्या.प्र.बोर्ड के सभी मुख्य अभियन्ता ।

— ४६१ —
विशेष सचिव